



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254611
CG-DL-E-07062024-254611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2085]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No. 2085]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2024

का. आ. 2187(अ).— पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए; केंद्रीय सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 26 मार्च, 2001 को का. आ. 268 (ई) में प्रकाशित पशु कूरता निवारण (पैदल पशुओं का परिवहन) नियम, 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिन्हें अंतिम नियम अधिसूचित करने से पहले तीस दिनों की अवधि के भीतर आम जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

मसौदा नियमों पर कोई भी सुझाव, आपत्तियां, संशोधन संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कमरा नंबर 245, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 को भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों को पशु क्रूरता निवारण (पैदल जानवरों का परिवहन) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा;
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पैदल पशुओं का परिवहन) नियम, 2001 (यहां उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में, उपनियम (क) में खंड (xiv) के बाद निम्नलिखित नई परिभाषाएँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -
(xv) **वयस्क ऊँट:** कैमेलिडे परिवार के अंतर्गत आने वाले पशु जिसमें बैक्ट्रियन, ड्रोमेडरी और जंगली बैक्ट्रियन के वंशज नर और मादा दोनों शामिल हैं, से अभिप्रेत है
(xvi) **शिशु ऊँट:** दो वर्ष से कम आयु के ऊँट से अभिप्रेत है।
3. इसके अलावा, उक्त नियमों में, नियम 2 के लिए उप नियम (ग) के बाद निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: -
(घ) "क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी": उस क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित पशुचिकित्सक है, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से उपाधि है और वह राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत है, से अभिप्रेत है।
4. उक्त नियमों में, नियम 12 के उप नियम (1) के लिए, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्: -
"ऊँट के संबंध में, गर्मी के झटकों से बचने के लिए, इस नियम के उप नियम (2) में उल्लिखित निर्दिष्ट अधिकतम तापमान से अधिक तापमान बढ़ने पर रात्रि मार्चिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।"
5. इसके अलावा, उक्त नियमों में, नियम 12 में उप नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम (4) डाला जाएगा, अर्थात्-
(4). ऊँट के संबंध में, मालिक या परिवहनकर्ता ऊँट को पैदल परिवहन करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
(क) ऊँट में स्फूर्ति लाने के लिए उसे धीमी गति से चलाया जाएगा और बाद में मोच और लंगड़ापन से बचने के लिए तेज गति से चलाया जाएगा।
(ख) चलते समय ऊँट का पैर गड्ढों में न पड़े जिससे फ्रैक्चर या लंगड़ापन हो।
(ग) रेत के टीलों को पार करते समय ऊँट को धीरे-धीरे चलाना चाहिए।

[फा. सं. वी-11011(18)/15/2023-एनएलएम-डीएडीएफ]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2024

S.O. 2187(E).—In exercise with the power conferred by of sub-section (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960; the Central Government has decided to further amend the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001 published by the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) notified S.O. 268 (E) dated 26th March, 2001 for comments by the common public within a period of thirty days before publishing the final rules:

Any suggestions, objections modifications on the draft rules may be sent to the Joint Secretary (Animal Welfare), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Room No. 245, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) (Amendment) Rules, 2024;
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Rule 2 of the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001 (herein referred to as the said rules), in sub rule (a) after clause (xiv) following new definitions shall be inserted, namely:-
(xv) **Adult Camel:** for the purposes of this chapter unless the context other requires, means the animal covered under family Camelidae including Bactrian, Dromedary and Wild Bactrian, both male and female including its progeny
(xvi) **Baby Camel:** means camel below the age of two years.
3. Further, in the said rules, for Rule 2 after sub rule (c) the following shall be inserted namely
(d) **“Jurisdictional Veterinary Officer”:** means veterinarian employed by the state government or central government in the area who holds a degree from a recognized veterinary college and is registered with the state Veterinary council or veterinary council of India.
4. In the said rules, in Rule 12 in sub rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :-
“Provided in respect of Camel, the night marching shall be preferred during the period when the temperature increased beyond the specified maximum temperature mentioned in sub rule (2) of this Rule, to avoid heat shocks.”
5. In the said rules, in Rule 12 after sub rule (3), the following sub-rule (4) shall be inserted, namely-
 - (4). In respect of Camel, the Owner or Transporter while transporting camel on foot shall ensure the following:
 - (a) The camel shall be marched in slow pace to warming up and subsequently moved to faster pace to avoid sprain and lameness.
 - (b) While walking, leg of camel doesn't land in pits which may cause fracture or lameness.
 - (c) While crossing the sand dunes, camel shall walk slowly.

[F. No. V-11011(18)/15/2023-NLM-DADF]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.